



## भारत ऑस्ट्रेलिया को WTO मध्यस्थता में चुनौती देगा

### प्रलिस के लयि:

[वशिव वयापार संगठन \(WTO\)](#), [सेवाओं में वयापार पर सामान्य समझौता \(GATS\)](#), [संयुक्त वक्तव्य पहल \(JSI\)](#), [वविाद नपिठान तंत्र](#), [वविाद नपिठान नकिया \(DSB\)](#), [अपीलीय नकिया](#), [वकिसशील देश](#), [अंतरराष्ट्रीय वयापार समझौते](#)

### मेन्स के लयि:

[वशिव वयापार संगठन \(WTO\)](#), [सेवा कषेत्तर](#), [सेवाओं में वयापार पर सामान्य समझौता \(GATS\)](#), [संयुक्त वक्तव्य पहल \(JSI\)](#), [वविाद नपिठान तंत्र](#)

[स्रोत: इकाॅनोमिक्स टाइम्स](#)

## चर्चा में क्यौं?

भारत ने सेवा कषेत्तर से संबंघति एक मुद्दे को सुलझाने के लयि ऑस्ट्रेलिया के खलिाफ [वशिव वयापार संगठन \(World Trade Organization-WTO\)](#) के नयिमाँ के तहत मध्यस्थता कारयवाही की मांग की है, क्यौंकि इससे भारत के सेवा वयापार पर प्रभाव पड सकता है।

## ऑस्ट्रेलिया के वरिद्ध भारत द्वारा उठाई गई चतिाँ क्यौं हैं?

- फरवरी 2024 में अबू धाबी में वशिव वयापार संगठन से जुडे 70 से अधकि देशों ने संयुक्त वक्तव्य पहल (Joint Statement Initiatives-JSI) पर सहमति व्यक्त की, जसि के तहत वे [सेवाओं के वयापार पर सामान्य समझौता \(General Agreement on Goods in Services- GATS\)](#) के तहत अतरिकित दायतिव ग्रहण करेगे, ताकि आपस में गैर-वस्तु वयापार को आसान बनाया जा सके और वशिव वयापार संगठन के अन्य सभी सदस्यों को समान रयियातें दी जा सके।
  - GATS एक WTO समझौता है जो वर्ष 1995 में लागू हुआ। भारत वर्ष 1995 से जनिवा स्थति इस संगठन का सदस्य है।
- इन दायतिवों का उद्देश्य लाइसेंसिंग व योग्यता आवश्यकताओं और परकरयिाओं एवं तकनीकी मानकों से संबंघति अनपेकषति वयापार प्रतबिंधात्मक उपायों को कम करना है।
- इससे भारतीय पेशेवर कंपनयिों को भी लाभ होगा, जनिहें अब इन 70 देशों के बाज़ारों तक पहुँचने का समान अवसर मलिगा, बशरते वे नरिधारति मानकों को पूरण करें।
- अनुमान के अनुसार, इस पहल से नमिन-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लयि सेवा वयापार लागत में 10% तथा उच्च-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लयि 14% की कमी आएगी, जसिसे कुल मलिाकर 127 बलियिन अमेरकी डॉलर की बचत होगी।
- संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) का वरिध:
  - अबू धाबी में हुआ नया समझौता एक बहुपक्षीय समझौता है, जसिमें 164 WTO सदस्यों में से केवल 72 ही पक्षकार हैं।
  - भारत, दक्षिण अफ्रीका और कई WTO सदस्य इस समझौते पर सहमत नहीं हुए हैं तथा भारत ने अन्य वकिसशील देशों की तरह, वभिनिन संयुक्त वक्तव्य पहलों (JSI) का वरिध कयिा है, क्यौंकि उन पर सभी सदस्यों द्वारा बातचीत नहीं की गई है।
  - वशिषज्जों का तर्क है कि संयुक्त वक्तव्य पहल (JSI) को WTO में एकीकृत करने की यह प्रवृत्ति WTO को शक्तिहीन करेगी तथा नविश, [सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम \(Micro, Small and Medium Enterprises- MSME\)](#), लयि व ई-काॅमर्स पर ऐसी कई और JSI को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।
  - JSI के तहत अपनी प्रतबिद्धताओं के प्रति ऑस्ट्रेलिया का अनुपालन, इस वविाद का एक मुद्दा है।
- ऑस्ट्रेलिया मामला:
  - वर्ष 2023 में, ऑस्ट्रेलिया ने सेवाओं के घरेलू वनियमन से संबंघति अतरिकित प्रतबिद्धताओं को शामिल करने हेतु GATS के तहत वशिषिट प्रतबिद्धताओं की अपनी अनुसूची को संशोधित करने हेतु WTO को सूचति कयिा।
  - एक "प्रभावति सदस्य" के रूप में भारत ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा अपनी वशिषिट प्रतबिद्धताओं में कयिा गया संशोधन कुछ शर्तों को पूरण नहीं करता है।
  - भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बातचीत के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका।

## वशिव व्यापार संगठन का वविाद नपिटान तंत्र क्या है?

### ■ वविार-वमिरश:

- औपचारिक वविाद शुरू करने से पूरव, शकियातकरत्ता पक्ष को बचाव पक्ष से वविार-वमिरश का अनुरोध करना चाहिये। बातचीत के माध्यम से वविाद को सौहारदपूरण ढंग से सुलझाने के परयास में यह पहला कदम है।
- वविार-वमिरश वशिषिट समय-सीमा के भीतर आयोजति कया जाना चाहिये तथा इसमें शामिल पक्षों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने हेतु प्रोत्साहति कया जाना चाहिये।

### ■ पैनल की स्थापना:

- यद वविार-वमिरश से वविाद का समाधान नहीं हो पाता है, तो शकियातकरत्ता पक्ष वविाद नपिटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। **वविाद नपिटान नकियाय (Dispute Settlement Body- DSB)** इस प्रक्रया की देखरेख करता है।
- सामान्य परषिद, WTO सदस्यों के बीच वविादों से नपिटने के लयि DSB के रूप में बुलाई जाती है। DSB के पास नमिनलखिति अधिकार हैं:
  - वविाद नपिटान पैनल स्थापति करना,
  - मामलों को मध्यस्थता के लयि भेजना,
  - पैनल, अपीलीय नकियाय और मध्यस्थता रपिर्ट को अपनाना,
  - सफिरशियों के कारयान्वयन पर नगिरानी बनाए रखना और
  - उन सफिरशियों और नरिणयों का अनुपालन न करने की स्थति में रयायतों को नलिंबति करने का अधिकार देना।
- यह पैनल व्यापार कानून और वविाद के वषिय में प्रासंगिक वशिषज्जता वालेस्वतंत्र वशिषज्जों से बना है। यह मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों की दलीलों की समीक्षा करता है और इन पर आधारति एक रपिर्ट जारी करता है।

### ■ पैनल रपिर्ट:

- पैनल की रपिर्ट में तथय, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लयि सफिरशियाँ शामिल हैं। इसे सभी WTO सदस्यों को भेजा जाता है, ताकवि समीक्षा के आधार पर टपिणी दे सकें।

### ■ दत्तक ग्रहण या अपील:

- रपिर्ट 60 दिनों के भीतर वविाद नपिटान नकियाय का नरिणय अथवा सफिरशि बन जाती है, जब तक क आम सहमतिसे इसे अस्वीकार न कर दया जाए।

### ○ वशिव व्यापार संगठन का अपीलीय नकियाय:

- अपीलीय नकियाय की स्थापना वर्ष 1995 में वविादों के नपिटान को नयितरति करने वाले नियमों और प्रक्रयाओं पर समझौते (DSU) के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई थी।
- यह सात वयक्तियों का एक स्थायी नकियाय है जो WTO सदस्यों द्वारा की गई अपीलों पर सुनवाई करता है। अपीलीय नकियाय के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होता है।
- यह कसि पैनल के कानूनी नषिकर्षों को बरकरार रख सकता है, उन्हें संशोधति कर सकता है या पलट सकता है।
- अपीलीय नकियाय की रपिर्ट को, एक बार DSB द्वारा अपनाए जाने के बाद, वविाद से संबंधति पक्षों द्वारा स्वीकार कया जाना चाहिये।
- अपीलीय नकियाय का मुख्यालय जनिवा, स्विट्जरलैंड में है।

### ■ अनुशंसाओं का कारयान्वयन:

- यद कोई WTO सदस्य अपने दायतियों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कविह अपने उपायों को WTO समझौतों के अनुरूप आधार पर नरिधारति करे।
- यद सदस्य ऐसा करने में वफिल रहता है, तो शकियातकरत्ता रयायतों के नलिंबन या अन्य उपायों के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने के लयि प्राधिकरण की मांग कर सकता है।

## वशिव व्यापार संगठन के वविाद नपिटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism- DSM) से संबंधति समस्या:

- अमेरिका ने नए अपीलीय नकियाय के सदस्यों और न्यायाधीशों की नयिकृति को व्यवस्थति रूप से अवरुद्ध कर दया है तथा वस्तुतः वशिव व्यापार संगठन की अपील प्रणाली के काम में बाधा उत्पन्न की है।
- भारत सहति विकिसशील देश, **वशिव व्यापार संगठन के वविाद नपिटान तंत्र (DSM)** को उसकी पूरव कारयात्मक स्थति पुनर्बहाली की वकालत करते हैं तथा अपीलीय नकियाय द्वारा प्रदान की गई जाँच और संतुलन के महत्त्व पर जोर देते हैं।
- विकिसशील देशों के पास वशिव व्यापार संगठन में **द्वि-स्तरीय DSM** को बनाए रखने के लयि **तीन विकल्प** हैं, जैसे **युरोपीय संघ** के नेतृत्व वाली **अंतरमि अपील मध्यस्थता व्यवस्था (MPIA)** में शामिल होना, एक **कमज़ोर अपीलीय नकियाय** को स्वीकार करना और **ऑप्ट-आउट प्रावधान (Opt-Out Provision)** के साथ मूल अपीलीय नकियाय को पुनर्जीवति करना।

## नषिकर्ष:

- वशिव व्यापार संगठन में मध्यस्थता प्रक्रया ऐसे वविादों को सुलझाने और सदस्य देशों के अधिकारों तथा दायतियों को बनाए रखने के लयि एक

तंत्र के रूप में कार्य करती है।

- दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिये पुनः बातचीत पर विचार कर सकते हैं। WTO विवाद नपिटान प्रक्रियासभी स्तरों पर समझौते को प्रोत्साहित करती है।
- भारत ने पूर्व में ही WTO मध्यस्थता शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों का एक पैनल शामिल होता है जो WTO समझौतों और व्याख्याओं के आधार पर निर्णय जारी करता है। जबकि WTO का अपीलीय निकाय वर्तमान में नषिक्रयि है, मध्यस्थता एक अस्थायी समाधान प्रदान कर सकती है।
- भारत विश्व व्यापार संगठन के विवाद नपिटान तंत्र में सुधार का प्रबल समर्थक रहा है। भविष्य के व्यापार विवादों के लिये एक व्यवस्थित अपीलीय संस्था अआवाश्यक है।

#### दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रों के बीच नषिपकष और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के अपने अधिदिश को पूरा करने में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सामने आने वाली वर्तमान चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

### ??????????:

प्रश्न. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को कसिके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमिति कयिा? (2018)

- (a) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (D)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लॉज़' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- (c) विश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न 3. नमिनलखिति में से कसिके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'एंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मलिते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न 4. नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन कयिा है।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रसितरीय पैकेज 2013 का एक भाग है।
3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 1 और 3  
(c) केवल 2 और 3  
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

**??????:**

प्रश्न. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़िदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए? (2018)

प्रश्न. "WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोत्तन करण है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोमुखी प्रतीत होती है जिसका कारण वकिसति और वकिसशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-to-take-australia-to-wto-arbitration>

